International Journal of Applied Research 2018; 4(11): 247-251

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(11): 247-251
www.allresearchjournal.com
Received: 20-09-2018
Accepted: 25-10-2018

अनामिका कुमारी
शोधार्थी, स्नातकोत्तर
राजनीतिशास्त्र विभाग, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
अनामिका कुमारी
शोधार्थी, स्नातकोत्तर
राजनीतिशास्त्र विभाग, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

राजनीतिक–आर्थिक सशक्तीकरण में पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व विकास की भूमिका

अनामिका कुमारी

सारांश
देश के विभिन्न भागों में पंचायती राज संस्थाओं पर हुए अध्ययन एवं प्रतिवेदन महिलाओं के प्रदर्शन एवं अनुभव को प्रदर्शित करते हैं। इससे न केवल इनकी पहचान, मान्यता, विश्वास, प्रदर्शन एवं प्रभावी सहभागिता प्रदर्शित होती है बल्कि पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के वाहक के रूप में उभरी है। अब तक की प्रगति यह प्रदर्शित करती है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं में चेतना, जागरूकता, ज्ञान, विश्वास, आकांक्षाएँ, स्व–बोध, सहभागिता, पंचायत एवं बाहरी नेतृत्व, पंचायतों एवं स्वयं पर पड़ने वाले प्रभावों के मामलों में पंचायती राज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिला की भागीदारी से भाासन की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। इनकी भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों में ज्यादा है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध महिलाओं से है और ये महिला सशक्तीकरण के सशक्त माध्यम हैं।

प्रस्तावना
पंचायत राज के माध्यम से हुए महिला सशक्तीकरण से ग्रामीण महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। उनमें अन्याय और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है। उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है। उनमें आत्मविश्वास एवं जोश बढ़ा है। रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के न केवल निर्णय–निर्माण क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, बल्कि विकेन्द्रित नियोजन में विकास कार्यक्रम के प्रशासन, क्रियान्वयन एवं नियोजन में सक्रिय सहभागिता प्रदान की है। पंचायती राज ने ग्रामीण क्षेत्र एवं वंचित (दलित) वर्ग की महिलाओं को परिवार, जाति व समाज में उच्च स्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है क्योंकि इनमें बीपीएल एवं कमजोर तबके की महिलायें भी निर्वाचित हो रही हैं। इसलिए उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण हो रहा है।
पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को पहचाना है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उन्हें इन संस्थाओं में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे स्वयं महसूस करती हैं कि अगर वे शिक्षित होती तो इन संस्थाओं में बेहतर तरीके से कार्य संपादन एवं सहभागिता कर पातीं। उनकी इस सोच ने ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिसकी आज काफी आवश्यकता है। महिला प्रतिनिधि गरीबी, असमानता, लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा आदि मुद्दों को उठाकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन की प्रकृति व दिशा को परिवर्तित कर रही हैं।
73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों को महिला सशक्तीकरण के लिए क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है क्योंकि इनके द्वारा पहली बार स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण न केवल सदस्यों के स्तर पर बल्कि सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुखों के पदों पर भी सुनिश्चित किया गया है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के इस राजनीतिक सशक्तीकरण का प्रभाव यह रहा कि इसकी बड़े पैमाने पर प्रगति ने राष्ट्रीय स्तर पर संसद तथा राज्य विधान सभाओं में एक–तिहाई आरक्षण के लिए आधार तैयार किया है। पंचायती राज की सफलता को देखते हुए 9 मार्च 2010 को राज्य सभा ने 108वाँ संविधान संशोधन विधेयक पास किया है, जिसे अभी लोकसभा से पारित होना बाकी है। उम्मीद है कि यह वहाँ भी जल्दी ही पारित हो जायेगा।
उल्लेखनीय है कि 73वें एवं 74वें संशोधन विधेयकों से महिलायें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं तथा अब वे राष्ट्रीय स्तर पर भी आरक्षण के लिए तैयार हैं। यद्यपि इन संशोधनों से पूर्व भी कुछ महिलायें इन संस्थाओं में चुनी जाती थीं, किन्तु उनकी संख्या न के बराबर

होती थी। जब संसद में इन महिलाओं के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों पर बहस हुई तो कुछ सदस्यों ने महिलाओं के इतनी बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने एवं अन्य बातों को लेकर आशंका व्यक्त की। लेकिन वर्ष 1995 से शुरू हुए चुनावों एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। वर्तमान में करीब 12 लाख से अधिक महिलायें पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होकर अपनी सक्रिय सहभागिता निभा रही हैं। उल्लेखनीय है कि इन ग्रामीण महिलाओं में कमजोर एवं वंचित तबके की महिलाएँ भी शामिल हैं, क्योंकि संविधान में ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के कारण इन वर्गों की महिलाएँ इन संस्थाओं में भाग लेकर लोकतंत्र एवं महिला सशक्तीकरण को वास्तविक रूप में साकार कर रहीं हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए ऐच्छिक प्रावधान होने के कारण राज्य सरकारों ने भी एक–तिहाई आरक्षण व्यवस्था कर रखी हैं।

इस प्रकार पंचायती राज की महिला सशक्तीकरण में भूमिका देखते हुए राजस्थान, बिहार, केरल सहित कुछ अन्य राज्यों ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। राजस्थान में जनवरी–फरवरी 2010 में हुए पंचायती राज चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण को क्रियान्वयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि अब बिहार जैसे कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गयी हैं, क्योंकि कुछ महिलायें सामान्य (पुरूष योग्य) सीटों पर भी निर्वाचित हो रही हैं। 73वें संविधान संशोधन का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि ये सामान्य महिला सीट पर भी निर्वाचित हो रही हैं। यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि इन वर्गों की महिलायें ही समाज में ज्यादा पिछड़ी व शोषित रही हैं। इन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति तथा मुस्लिम महिलायें भी हैं। इन महिलाओं ने सत्ता के जातीय समीकरण को ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समीकरण को भी बदल दिया है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों के बारे में एसी. नीलसन ओआरजी मार्ग के अध्ययन से पता चलता है कि पंचायती राज संस्थाओं में बड़ी संख्या में बीपीएल और निरक्षर उम्मीदवार भी हैं। इससे यह भ्रम निर्मूल होता है कि चुनावी राजनीति में धन बल ही काम करता है। राष्ट्रीय राजनीति में भले ही यह अधिक नजर आता है, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीति में भी यह उतना महत्वपूर्ण कारक नहीं बना है। बीपीएल जीवन के लोगों का पंचायतीराज संस्थाओं में आना और विशेषकर महिला बीपीएल उम्मीदवारों की भागीदारी इस बात की सूचक है कि स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सामंती और सवर्णवादी पूर्वाग्रह तथा मनमानी कम हो सकेंगे। यह भारतीय समाज और राजनीति के लिए शुभ लक्षण है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तीकरण से न केवल दोपहर का भोजन कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि के क्रियान्वयन में फर्क पड़ा है बल्कि ग्रामीण महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। भारत सरकार ने भी महिला सशक्तीकरण और कल्याण हेतु राजीव गाँधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (सबला), इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना, स्वाधार योजना (2001–02), महिला ई–हाट, राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001), सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष, किशोरी शक्ति योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, वर्किंग वुमन हॉस्टल, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम, नारी शक्ति पुरस्कार, स्वाधार गृह (2002), उज्जवला योजना (2007), राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (2010), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम (2015), महिला शक्ति केन्द्र योजना (2017), विकास प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने, कृषि, उद्योग, सेवा व अर्थव्यवस्था में महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु कतिपय महत्वपूर्ण प्रयत्न किये हैं।

उनमें अन्याय, दमन और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है। इस तरह ग्रामीण महिलाओं के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है। वे अपने आस–पास की घटनाओं के प्रति सजग हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में होने वाले रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। उनमें राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव भी विकसित हुआ है। कई मामलों में तो महिला पंचायतों के पिता, पति अथवा भाई के हाथ में ही कमान हैं और वे अपनी बेटियों, पत्नियों अथवा बहनों को अपने रिमोट कंट्रोल से संचालित करते हैं तथा उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यह पूरी वास्तविकता नहीं है। कई सर्वेक्षणों से इस भ्रम का भी निराकरण हुआ है। सर्वेक्षणों से तो यह बात भी सामने आयी है कि महिला पंचायतों में साक्षर व जागरूक महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है और यहाँ तक कि अनुभव का फायदा लेते हुए निरक्षर व अनपढ़ महिलायें भी अपना कार्य अच्छी तरह करती हैं। उनका प्रदर्शन पुरूष प्रतिनिधियों से किसी मायने में कम नहीं हैं। पुरूषवादी मानसिकता के शिकार लोग अक्सर यह तर्क देते रहे हैं कि निरक्षर महिलायें पंचायतों का कामकाज ठीक ढंग से नहीं समझ सकती हैं और वे अपने पतियों द्वारा संचालित 'मोम की गुड़िया' साबित होंगी, लेकिन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष इसके उलट हैं जबकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की तरक्की में सहयोग दिया है। घर–परिवार हो या खेत–खलिहान किसी भी जगह आधी आबादी पीछे नहीं रही है।

भारत सरकार की ओर से लागू किया गया न्यूनतम साझा कार्यक्रम एवं पंचायती राज को आर्थिक व सामाजिक न्याय के दो प्रमुख कार्यों के साथ पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिये जाने से स्थिति और बेहतर हुई है। भारत सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना, ई–प्रशासन योजना आदि गाँवों की तस्वीर बदलने लगे हैं। इससे जहाँ गाँवों में जागरूकता आयी है वहीं लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। ग्रामीण महिलायें छोटे–छोटे स्वयं सहायता समूहों के जरिये स्वरोजगार अपना रही है और विकास में अपना सहयोग दे रही है। कई स्वयंसेवी संगठनों की मदद से सरकार ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का भी काम कर रही है।

चूँकि अभी देश में नौकरशाही उतनी चुस्त नहीं है, स्थानीय प्रशासन ढीला है और कई राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है एवं पंचायतों को अभी वित्तीय अधिकार नहीं मिले हैं। इसलिए पंचायतों के जरिये होती मौन क्रांति का नतीजा अभी उतना आकर्षक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब संसद और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा तो महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक नया राजनीतिक रास्ता खुलेगा और वे उससे आगे बढ़ते हुए संसद तक पहुँचेगी। उनके पास एक नया अनुभव होगा जिसका फायदा नीतियों के निर्धारण में मिलेगा तथा ग्राम सभा से संसद तक के सफर में निश्चित तौर पर आधी दुनिया को इसका फायदा मिलेगा।

चूँकि ग्रामीण महिलायें जीवन के सभी क्षेत्रों में पिछड़ी रहीं हैं, अतः उनके सशक्तीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर अब तक की उपलब्धियों, समस्याओं एवं कमियों का विश्लेषण करते हुए सार्थक एवं उपयोगी सुझावों को अपनाना आवश्यक है। भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न

प्रशासनिक, वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ भारतीय पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में उल्लेखनीय योगदान किया है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसलिए इस संशोधन से सम्बन्धित प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण आवश्यक है। तमाम प्रयासों व दावों–प्रतिदावों के बावजूद बार–बार यह प्रश्न उठता है कि क्या ग्रामीण महिलाओं का पंचायती राज से वास्तव में सशक्तीकरण हुआ है?

और अगर हाँ तो किस सीमा तक एवं किन अर्थों में? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अब विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम को लागू हुए दो दशक से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं। इसलिए पंचायतों में महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से ऐसे प्रश्न लाजमी हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायती राज ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है किन्तु सशक्तीकरण की मात्रा, क्षेत्र एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न रही है। जिन पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि स्वयं पंचायत के मामलों को देखती है, निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण सक्रियता से भाग लेती हैं और समुदाय के विकास कार्यक्रमों को बाहरी एजेंसियों से सक्रियता से करवा पाती हैं, तो कहा जा सकता है कि उन महिला प्रतिनिधियों का पूर्ण सशक्तीकरण हुआ है। दूसरी ओर अगर महिला प्रतिनिधि अपने घर से स्वतन्त्र रूप से बाहर नहीं आती, घूँघट नहीं हटा पातीं और अपने पति या सम्बन्धी के कहने पर ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती हैं, तो कहा जा सकता है कि उन महिला प्रतिनिधियों का सशक्तीकरण नहीं हुआ है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी ये दोनों ही स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इस प्रकार सशक्तीकरण का परिणाम विभिन्न स्थानों एवं परिस्थितियों में भिन्न रहा है।

वर्तमान में यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि पंचायत राज की महिला प्रतिनिधि अकेले सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अपने कार्यालयों में जाने लगी हैं, पुरूष प्रतिनिधियों के साथ कुर्सियों पर बैठने लगी हैं, सार्वजनिक चर्चाओं में हिस्सा लेने लगी हैं और ये सभी कदम उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। निकट भविष्य में पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता एवं शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार शैक्षिक सशक्तीकरण होने से अगली पीढ़ी की महिला प्रतिनिधि बेहतर शिक्षित रहेंगी और पंचायत के मामलों को बेहतर तरीके से संभाल पायेंगी। उल्लेखनीय है कि महिला पंचायत प्रतिनिधियों को अन्य ग्रामीण महिलाओं से परिवार, भूमि, रोजगार एवं आवास से सम्बन्धित विभिन्न वाद–विवाद की याचिकाएँ मिलती हैं। पंचायत की नवीन महिला प्रतिनिधि इन सबको सुलझा तो नहीं पाती किन्तु इससे वे सार्वजनिक जीवन के नये अनुभवों से अवगत होती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है।

महिलाओं के प्रति हमारे रूख में बदलाव की जरूरत है। पिछले दो दशकों के दौरान महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं, फिर भी और अधिक उपायों की जरूरत है। महिला सशक्तीकरण के स्तम्भों में साक्षरता, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा माँ और बच्चों के लिए पौष्टिकता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा स्वरोजगार के अवसर सहित वित्तीय सुरक्षा शामिल हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। ये सारे काम महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जाकरूक बनाने, उन्हें महिला होने का गर्व होने, प्रेरक माहौल बनाने तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करने पर ही पूरे हो सकेंगे। अक्सर यह देखा जाता है कि महिलाओं को कम मजदूरी वाले काम दिये जाते हैं और विकास के जैसे अवसर पुरूषों को मिलते हैं, उन्हें नहीं मिल पाते। जब कभी भारतीय महिलाओं को अनुकूल माहौल और सही सुविधाएँ मिली हैं वे सफल हुई हैं।

महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकारिता विकास एवं गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य सरकारों को ऐसी योजनाएँ लागू करनी चाहिए, जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करें। इससे स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी कमी आयेगी। घरेलू हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव कम करने के लिए एक समुचित सामाजिक एवं कानूनी माहौल बनाने की जरूरत है इसके लिए समाज के सभी वर्गों, सामाजिक संगठनों, मीडिया तथा सरकार को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हमारी नीतियाँ व कार्यक्रम भी ऐसे होने चाहिए जो महिलाओं की जरूरतों तथा हितों को ध्यान में रखकर तैयार हों। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण सुविधा देकर अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद दी जानी चाहिए। ये उपाय महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करने में मदद पहुँचायेंगे तथा उनकी अधिकारिता में योगदान करेंगे। हमारा मकसद होना चाहिए कि महिलाओं को काम करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर दें तथा ऐसा माहौल बनायें जिसमें महिलायें सम्मान एवं गरिमा के साथ रह सकें उनका सशक्तीकरण हों और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। एक राष्ट्र के रूप में हमारी पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो सकेगा जब महिलाएँ, जो हमारी आबादी का करीब आधा हिस्सा हैं, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। जब तक ऐसा नहीं होता है, प्रतिभा का आधा हिस्सा, प्रगति का आधा भाग बर्बाद होता रहेगा। एक राष्ट्र के रूप में हम लोग इस बर्बादी को बर्दास्त नहीं कर सकते। जिस तरह एक रथ के आगे बढ़ने के लिए उसके दोनों पहियों के आगे चलने की जरूरत होती है उसी तरह पुरूषों और महिलाओं को संयुक्त रूप से मजबूत होने और आगे बढ़ने की जरूरत है।

महिला नेतृत्व विकास की चुनौतियाँ

हालाँकि एक लम्बे संघर्ष के दौरान पंचायत स्तर पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया लागू हो गयी है तथा कतिपय मामलों में ग्रामीण नागरिकों को इसका लाभ भी मिला हुआ है किन्तु अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में प्रक्रियात्मक बाधाओं की चिंता करने की जरूरत है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक तरफ आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के युग में पूरी दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित नये–नये नेटवर्कों की जरूरत बढ़ रही है, किन्तु अभी भी स्वाधीनता के 6 दशकों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचों के विकास में कमी के कारण स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हो पाया है। कतिपय क्षेत्रों में तो न साक्षरता में वृद्धि हुई है और न ही लोगों के रहन–सहन, खान–पान, वेशभूषा व जीवन स्तर में ही कोई सुधार हो पाया है। लोग अभी भी निम्नतर जीवन स्तर जीने को विवश हैं। उसमें भी ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर बेहतर बनाने तथा पंचायतों में उनको प्रतिनिधित्व देकर जिस बदलाव की अपेक्षा की गयी थी वैसा नहीं हो पाया है। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में अभी भी बहुत सी बाधाएँ हैं, इसमें गरीबी, शिक्षा व जागरूकता की कमी, समाज का पितृ सत्तात्मक स्वरूप, वित्तीय संसाधनों व स्वतन्त्रता की कमी और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी, जो स्वतन्त्र निर्णय लेने के लिए महिलाओं की क्षमता बाधित करती हैं, शामिल हैं। भारतीय समाज में प्रचलित चरम लिंग–पूर्वाग्रह के कारण महिला सशक्तीकरण अच्छी तरह से सफल नहीं हो सकता है।

पुरानी सामाजिक परम्परायें व रीति–रिवाज

ग्रामीण स्तर पर अभी भी कतिपय समाजों में महिलाओं के लिए पुराने सामाजिक सरोकार व रीति–रिवाज व परम्परायें लागू होती हैं। ऐसे परिवारों में आज भी महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुर्लभ है। समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा व पुराने रीति–रिवाज के चलते महिलायें विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पातीं। ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों को विशेष रूप से कमजोर वर्गों की

महिलाओं को परिवार के पालन–पोषण के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी भी करना पड़ता है, इस वजह से वे पंचायतों की बैठकों में भाग नहीं ले पातीं और यदि वे किसी तरह भाग भी लेती हैं तो प्रशासनिक नियमों एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होती हैं। उनकी इस कमजोरी का फायदा पंचायती राज व्यवस्था में कार्य करने वाले कार्मिक उठाते हैं। ये कार्मिक ही रिकार्ड एवं लेखों का सार–संभाल करते हैं। ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें ग्रामीण महिलाओं की अज्ञानता का फायदा उठाकर कार्मिक पंचायतों की मदों में फेरबदल कर घपलेबाजी करते रहे हैं।

कुछ राज्यों के पंचायत उम्मीदवारों के लिए 'दो बच्चों' का ही प्रावधान है। इनसे ज्यादा बच्चे पैदा होने पर उन्हें उम्मीदवारी के लिए अयोग्य माना जाता है। इस व्यवस्था से भी ग्रामीण महिलायें ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके बच्चे निर्धारित करने का अधिकार नहीं रहता है। इस बारे में निर्णय उनके पति या परिवार वाले ही लेते हैं।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण हेतु प्रमुख सुझाव

ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए महिलाओं एवं पंचायती राज के सम्मुख उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। उन्हें व्यवस्थित होकर विभिन्न बाधाओं एवं चुनौतियों को दूर करना पड़ेगा। इस हेतु कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हैं :–

1. महिलाओं को संगठित होकर विभिन्न स्तरों पर अपने नेटवर्क स्थापित करना चाहिए, ताकि निर्णय निर्माण एवं क्रियान्वयन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकें। महिला ग्राम पंचायतों की नेटवर्किंग ही उनके सामूहिक ताकत, एकजुटता की भावना और एक दूसरे से अनुभव सीखने का रास्ता खोलेंगे।
2. महिलाओं के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, राजनीति में सक्रियता, अधिकारों के लिए विधान मंडलों एवं वैधानिक निकायों में सक्रियता, समानता के अवसरों को पाने की इच्छा एवं सामाजिक परिवर्तन की अति आवश्यकता है। इन सभी समन्वित प्रयासों से ही महिलाओं का पंचायतों में राजनीतिक सशक्तीकरण संभव हो सकेगा।
3. पंचायती राज में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता विशिष्ट कुशलता, ज्ञान एवं दृष्टिकोण की माँग करती है। इसलिए व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण की आवश्यकता है, ताकि महिलाएँ वर्तमान स्थितियों को बदलकर संसाधनों एवं सत्ता के प्रयोग द्वारा महिला राजनीतिक सहभागिता को शीघ्रता से संभव बना सकें।
4. राजनीतिक दलों को भी महिला सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। अपने संगठनों में उन्हें महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान देना चाहिए।
5. धन एवं शक्ति ;डवदमल ंदक च्यूमतद्ध पर निर्भर निर्वाचन प्रणाली को भी बदला जाना चाहिए। चुनावों में जातिवाद, अपराधीकरण, मतदान केन्द्रों पर कब्जा ;ठववजी ब्ंचजबीमतपदहद्ध जैसी बुराइयों को दूर करना चाहिए।
6. केवल महिला आरक्षण ही महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण को संभव नहीं बना सकता। महिला प्रतिनिधि शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान के माध्यम से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों को संभाल सकती है। इस संदर्भ में मीडिया भी अहम भूमिका निभा सकती है।
7. महिला नेतृत्व विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। कोई भी योजना तभी सार्थक हो सकती है जब उसे वास्तविक धरातल पर लाया जाए और इसके लिए मूल्यांकन और अनुश्रवण की आवश्यकता है, जिसकी हमारे देश में शायद सर्वाधिक कमी है।
8. महिला नेतृत्व विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि पंचायतों का सशक्तीकरण हो, क्योंकि कमजोर पंचायतें महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकतीं। इसलिए पंचायतों की स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई विशेष राजस्व नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का भी अभाव है। इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने के बजाय विकास को ही पंचायत राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक महिला सशक्तीकरण संभव हो सकेगा तथा पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व का विकास संभव हो सकेगा।
9. देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महिला सदस्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया है। इस तरह की महिलाओं के सराहनीय नेतृत्व का प्रसार किया जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए। इससे अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी।
10. पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाए। इससे उनमें न सिर्फ आत्मविश्वास जागृत होगा, बल्कि नेतृत्व क्षमता में भी निखार आएगा। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक में महिला सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए।
11. ग्रामीण महिला राजनीतिक सहभागिता हेतु उपर्युक्त सारे प्रयास एवं सुझाव तभी उपयोगी होंगे जब राजनीतिक उपायों से समुदायों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जायेगा। ग्रामीण समुदायों के दिमाग में यह बात बिठाने की आवश्यकता है कि महिलाएँ ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। इस हेतु स्वयं महिलाओं एवं अन्य कट्टर पंथियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है।

निष्कर्ष

देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिला नेतृत्व विकास अति आवश्यक हैं और इसी कारण देश के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को मुख्य धारा में लाना सरकार की मुख्य चिंता रही है। ग्रामीण महिला नेतृत्व विकास ग्रामीण भारत के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत् विकास, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन के लिए आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं पुरूषों की समान भागीदारी ग्रामीण समाज एवं देश के संतुलित विकास को बढ़ावा देगी जिससे अंततः भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं की सभी स्तरों पर निर्णय एवं नीति–निर्माण तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के बिना समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं होगी। अभी महिला नेतृत्व विकास के लिए बहुत रास्ते पार करने हैं, बहुत से कदम उठाने बाकी हैं, इसलिए लचीली एवं प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. शर्मा, ब्रज किशोर, ''भारत का संविधान–एक परिचय'', पी. एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ–279
2. गौतम, डॉ. नीरज कुमार, ''पंचायती राज एवं सूचना प्रौद्योगिकी'', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, वर्ष–60, अंक–03, जनवरी–2014, पृष्ठ–24–25
3. Akhtar, S.M., 'National Integration' (Auditor C.P. Barthawal), ' National Integration in India since Independence', New Royal Book Company, Lucknow, 2001, Page-13

4. जगजीवन राम ''भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या'', राजपाल एंड सन्स, नई दिल्ली, 1981, पृष्ठ–76
5. कर्बे इरावती, ''हिन्दू समाज और जाति व्यवस्था'', ऑरियन्ट लॉगमैन लिमिटेड, नई दिल्ली, 1975, पृष्ठ–16
6. सरला माहेश्वरी, ''नारी प्रश्न'', राधाकृष्ण प्रकाशन, प्रा0लि0, नई दिल्ली, 1998, पेज 138–151
7. चेतन मेहता, ''महिला एवं कानून'', आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1996, पेज 88–91
8. आशा कौशिक, ''नारी सशक्तीकरणः विमर्श एवं यथार्थ'', आविष्कार पब्लिशिंग, जयपुर, 2004, पेज 137–162
9. हरिमोहन धवन, ''महिला सशक्तीकरण : विविध आयाम'', रावत पब्लिकेशन, आगरा, 1998, पेज 137–162
10. जगदीश चन्द्र जैन, ''नारी के विविध रूप'', ओरियंट पब्लिकेशन, वाराणसी, 1978, पेज 137–158